

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (V-189) अलेसे-1/5393-98

दिनांक:- 02-01-2025

आदेश

श्री वीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक न. 5895), तत्कालीन कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट (पाली) अधिवार्षिकी आयुपरान्त दिनांक 30.11.2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अतः श्री राजपुरोहित की सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रकरण एवं देय पेंशन परिलाभों तथा उपार्जित अवकाश में से शेष अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान करने हेतु कोषाधिकारी, पाली को अधिकृत किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (V-189) अलेसे-1/5393-98

दिनांक:- 02-01-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कोषाधिकारी, पाली।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट (पाली)।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट (पाली) को सूचनार्थ।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)